श्रीमति वसुंधरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

विषयः– श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक प.11(204) आर.एण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/53218 जयपुर दिनांक 30 सितम्बर 2014 को निरस्त/संशोधन करने बाबत्।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान** निवेदन करता है कि राज. उच्च न्यायालय के समक्ष एक ऐसा आधारहीन प्रसंग रखा है कि मीना(MINA) अनुसूचित जनजाति है एवं मीणा (MEENA) अनुसूचित जनजाति में नहीं आता है। खेद का विषय है कि बिना सोचे विचारे बहस की जा रही है। सबसे पहले देखना चाहिए कि मीना और मीणा (MINA/MEENA) क्या दो अलग–अलग जातियाँ हैं ? किसी ने लेश मात्र भी इस बारे में न तो तथ्य बताये हैं और न ही कोई सबूत पेश किया है। मीना और मीणा (MINA/MEENA) दो अलग–अलग जाति नहीं है बल्कि एक ही जाति है। परन्तु राजस्थान में न को ण बोलने के कारण अगर कोई मीना, मीणा लिखता है तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नही होनी चाहिए।

इस कटुसत्य के बावजूद राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2014 को एक आदेश जारी कर मीणा (MEENA) शब्द के साथ जारी किये गये अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्रों को मीना शब्द के साथ अनुसूचित जनजाति का संशोधित प्रमाण–पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। जिससे इस जाति के लाखों नवयुवकों का भविष्य अन्धकारमय होने जा रहा है।

अतः आरक्षण मंच राज्य सरकार से निम्नलिखित तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर अनुरोध करता है :–

(अ) सरकारी दस्तावेज :

1. यदि सरकारी दस्तावेजों को इस सम्बंध में देखें तो पता चलता है कि मीना व मीणा (MINA/MEENA) एक ही जाति है। राजस्थान सरकार के दस्तावेजों में सन् 1943 व 1950 में मीना जाति को मीना, मीणा, MINA व MEENA दर्शाया गया है। दस्तावेजों की प्रति –पेजों में अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।

2. पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार (1953–1955) ने अनुलग्नक–1 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट में राजस्थान की मीना/मीणा (MINA/MEENA) जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु अंग्रेजी में "MINA" तथा हिन्दी में "मीणा" शब्द से सिफारिश की थी। जिसके आधार पर संसद द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) संशोधित सूची आदेश 1956 में MINA जाति को अनुच्छेद 342 के तहत् अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया। उस समय इसका हिन्दी अनुवाद नहीं किया गया। यदि किया गया होता तो वह मीणा ही होता, क्योंकि पिछड़े वर्ग आयोग ने हिन्दी में मीणा शब्द की ही सिफारिश की थी। यह संशोधित सूची दिनांक 1 नवम्बर 1956 से लागू की गयी। जो कि अनुलग्नक–2 पर स्थित है।
3. भारत सरकार द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) संशोधन अधिनियम 1976 दिनांक 27.07.1977 का हिन्दी अनुवाद तीन वर्षों के बाद वर्ष 1979 में जारी किया गया जिसमें MINA जाति को हिन्दी में पहली बार मीना दर्शाया गया। जो कि अनुलग्नक–3 पर स्थित है।

   जबकि हिन्दी की अनुवादित अधिनियम 1976 की प्रतिलिपियाँ राज्य के जिलों व तहसीलों को अग्रिम कार्यवाही हेतु नहीं भेजी गई। जिसके कारण राजस्थान में हिन्दी में मीना व मीणा एवं अंग्रेजी में MINA तथा MEENA नाम से सक्षम अधिकारी पिछले लगभग 60 वर्षों से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करते रहे हैं। इसके साथ–साथ यह भी उल्लेख है कि एक ही परिवार के सदस्यों को मीना एवं मीणा के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते रहे हैं।

4. देश के आजाद होने से पहले एवं आजाद होने के बाद वर्ष 2011 तक के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आधारित जनगणना के आंकड़ों में हिन्दी में मीना व मीणा तथा अंग्रेजी में MINA व MEENA को एक ही जनजाति माना है। इसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज अनुलग्नक–4 पर स्थित है।
5. राजस्थान की मीणा–जाति को जनजाति– वर्ग का दर्जा भारत सरकार द्वारा गठित काका कालेलकर कमीशन और यू.एन.ढ़ेबर कमीशनों की रिपोर्ट के आधार पर भारत की संसद ने सन 1956 में इसे Aboriginal Tribe of India (भारत की मूल आदिम जाति) मानकर इसे Primitive Hill Tribe of India (भारत की आदिकालीन पर्वतीय जनजाति) मानकर इसे Schedule Tribe (जनजाति–वर्ग) का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने पर मिला।

(ब) इतिहासकार एवं लेखकों का मत :

1. यहाँ सर्वविदित है कि राजस्थान में प्रत्येक (लगभग 30 किलोमीटर) दूरी पर भाषा की बोली/उच्चारण बदल जाता है, जिसके कारण मीना जाति को क्षेत्रवार, अलग–अलग उच्चारण से सम्बोधित किया जाता है। मीना, मीणा, मैंना, मैणा बोलचाल की भाषा में अलग –अलग उच्चारण है, परन्तु सम्पूर्ण राजस्थान में यह एक ही जाति है। कोई यह नहीं कहता है कि मीना व मीणा दो अलग–अलग जाति के लोग हैं एवं अपने आपको अलग मानने का कोई दावा भी नहीं करता है। जिस प्रकार पानी–पाणी, रानी – राणी, खाना–खाणा, जाना–जाणा, लेना–लेणा, देना–देणा, उठना–इठणा, माली–माड़ी, बनिया–बणिया, वैसे ही मीना भी मीणा हो गया है। क्षेत्रवार भाषा के अपभ्रंश उच्चारण के आधार पर अलग–अलग उच्चारण है, इसी प्रकार हिन्दी में मीना व मीणा तथा अंग्रेजी में MINA व MEENA एक ही जनजाति मीना के अलग–अलग उच्चारण है।

2. इतिहासकारों में अंग्रेजी लेखक कर्नल जेम्स टोड ने मीना/मीणाओं के लिए अंग्रेजी में MEENA शब्द का उपयोग किया है जो अंग्रेजी में MINA व MEENA शब्दों को लेकर प्रचारित भ्रान्ति को स्पष्ट होने के लिए प्रर्याप्त है। इसी तरह हिन्दी लेखकों जिनमें डॉ. बृजकिशोर शर्मा, डॉ. हुकम चन्द जैन, रावत सारस्वत एवं एस. एस. नागोरी आदि मुख्य हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास से सम्बंधित पुस्तकें लिखी हैं एवं उनमें उन्होंने राजस्थान के सभी भागों/क्षेत्रों में आदिवासी मीणाओं के निवास का उल्लेख किया है। इन सभी इतिहासकारों एवं लेखकों के लेख इस बात के द्योतक है कि मीना व मीणा तथा MINA व MEENA एक ही जनजाति के है।

उपरोक्त वर्णित ऐतिहासिक तथ्यों एवं दस्तावेजों में उल्लेखित शब्द मीणा एवं केन्द्र सरकार द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) संशोधन अधिनियम 1976, जिसका हिन्दी अनुवाद वर्ष 1979 में किया गया, के अन्तर्गत अंग्रेजी शब्द MINA को हिन्दी में मीना उल्लेखित है एवं 1943 व 1950 के राजस्थान के राज पत्रों में मीना/मीणा जाति के लिए MEENA शब्द का प्रयोग होना दर्शाता है कि मीना व मीणा तथा MINA व MEENA एक ही जाति को इंगित करते है।

उक्त वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए समाचार पत्रों में एवं सरकार द्वारा जारी किये जा रहे दस्तावेजों में भी अंग्रेजी में MINA एवं MEENA एवं हिन्दी में मीना एवं मीणा शब्दों के उपयोग करने का प्रचलन है। यदि सरकारी दस्तावेजों को भी इस सम्बंध में देखें तो पता चलता है कि मीना व मीणा MINA एवं MEENA एक ही जाति है।

अब जब गजट में लिखे नाम पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गये है तो इसका पूरा खुलासा होना और नाम में संशोधन आवश्यक हो गया है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपने आप ही अपने आदेश संख्या 46**VIP**/26.3.2012 दिनांक 20 व 27/11/2012 के द्वारा मीना, मैना और मीणा को एक ही जाति (अनु. जन. जाति) मानने के आदेश दिये है। इस आदेश की फोटो प्रति संलग्न है

अतः **अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान** आपसे निवेदन करता है कि :–

1. प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक प.11(204) आर.एण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/53218 जयपुर दिनांक 30सितम्बर 2014 को वापिस निरस्त करते हुए मीना व मीणा एक ही जाति के होने के बारे में राज्य सरकार स्पष्ट परिपत्र पुनः जारी करें।

2. राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे कि हिन्दी में मीना व मीणा तथा अंग्रेजी में MINA व MEENA एक ही जनजाति है ताकि आरक्षण विरोधी ताकते मीना जनजाति के हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकें एवं सभी समाजों में आपसी समरसता बनी रहे।

3. हिन्दी में मीना व मीणा तथा अंग्रेजी में MINA व MEENA एक ही जनजाति है। अतः राज्य सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे कि संविधान की हिन्दी की सूची में 'मीना के साथ 'मीणा' तथा अंग्रेजी की सूची में 'MINA के साथ MEENA को संशोधन करवाने का कष्ट करें। ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

इस सन्दर्भ में जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में स्पस्टीकरण जारी किये गये थे तथा मंत्रालय ने यह भी अनुरोध किया था कि यदि 1976 के अधिनियम के हिन्दी रूपान्तरण में अन्य कोई त्रुटी या गलती है तो बताया जाये, जिससे इसमें संशोधन जारी किया जा सके।

सादर

भवदीय

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

(जे.पी.विमल) (IAS Retd.)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतू।

1. श्री नंद लाल मीणा, माननीय मंत्री महोदय जनजाति विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
4. श्रीमान अध्यक्ष , रास्ट्रीय जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
5. श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय जनजाति आयेाग, जयपुर।
6. माननीय विधायक श्री .....

भवदीय

ई. आशा राम मीणा
महासचिव

(जे.पी.विमल) (IAS Retd.)
अध्यक्ष